By Speed Post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. UD/1/2018/STGHY/ATPHHR/RU-I Date: 04/10/2018

To

1. The Deputy Commissioner,
District – Sonipat,
Mini Secretariat, Gohana Road,
Sonipat (Haryana).
Tel: 0130-2220500, 2221500.
Fax: 0130-2221500
Email: dcsnp@hry.nic.in

2. The Superintendent of Police,
District – Sonipat,
(Haryana).
(Mob: 7082101030).
Tel: 0130-2222906, 2222907.
Fax: 0130-2222903.
Email: spsnp@hry.nic.in

विषय: श्रीमती ऊषा देवी (पत्नी श्री धर्मेंद्र शाह, ग्राम - सिकटिया, थाना महाराजगंज, जिला - सीवान, बिहार) C/o श्री सतीश कुमार, मकान नंबर 337/19 मास्टर कलोनी, तुगलकाबाद गाँव, नई दिल्ली द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय के प्रकरण में दिनांक 25/09/2018 को 3:00 बजे सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत की प्रति संलग्न करते हुए उचित कार्यवाई हेतु अग्रसारित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 011-24641640.

Copy to:

1. Smt. Usha Devi,
(W/o Dharmendera Shah),
C/o Samrat Associates (Building Material Suppliers),
House No. 1, Deepak Vihar,
Vikas Nagar, Opp. Raghubir Singh,
Modern School, Hastsal Village,
Uttam Nagar,
New Delhi – 110059.
(Mob: 9990719070).

2. NIC, N.C.S.T. please upload on the Website of the Commission.

भारत सरकार

Govt. of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

श्रीमती ऊषा देवी (पत्नी श्री धर्मेंद्र शाह, ग्राम - सिकटिया, थाना महाराजगंज, जिला - सीवान, बिहार) C/o श्री सतीश कुमार, मकान नंबर 337/19 मास्टर कलोनी, तुगलकाबाद गाँव, नई दिल्ली द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित दिनाँक 25/09/2018 समय 3 बजे बैठक का कार्यवृत।

(फ़ाइल संख्या : UD/1/2018/STGHY/ATPHHR/RU-I)

बैठक की तिथि: 25/09/2018 को 3 बजे

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्नक में है।

श्रीमती ऊषा देवी (पत्नी श्री धर्मेंद्र शाह, ग्राम - सिकटिया, थाना महाराजगंज, जिला - सीवान, बिहार) C/o श्री सतीश कुमार, मकान नंबर 337/19 मास्टर कलोनी, तुगलकाबाद गाँव, नई दिल्ली ने अपने अभ्यावेदन दिनाँक 01/05/2018 द्वारा अपने ऊपर हो रहे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में उल्लेख करते हुए न्याय दिलवाने हेतु अनुरोध किया। आयोग ने पत्र दिनाँक 01/05/2018 द्वारा उपायुक्त जिला - सोनीपत तथा पुलिस अधीक्षक, जिला - सोनीपत को मामले में तथ्यो सहित की गयी कार्यवाई भेजने का अनुरोध किया।

उपायुक्त, जिला - सोनीपत ने पत्र दिनाँक 25/07/2018 के माध्यम से उप पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक जिला - सोनीपत की दिनाँक 07/06/2018 की आख्या रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया "कि श्रीमती ऊषा देवी के साथ मार पीट किए जाने के संबंध में उप निरीक्षक, थाना - कुंडली द्वारा कार्यवाई की गयी है, जिसमे हालात संदेहजनक पाये जाने पर हालात की तसदीक की गयी। हालात तसदीक से किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है"। श्रीमती ऊषा देवी पुनः आयोग मे दिनाँक 20/08/2018 उपस्थित हुई और अविलंब न्याय दिलाने का अनुरोध किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने दिनाँक 29/08/2018 को उपायुक्त जिला - सोनीपत तथा पुलिस अधीक्षक जिला - सोनीपत एवं अभ्यावेदक के साथ प्रकरण में विचार विमर्श के लिए सिटिंग आयोजित कि थी। सिटिंग में अधिकारीगण तथा अभ्यावेदक उपस्थित नही हुए। अतः दिनाँक 25/09/2018 को पुनः सिटिंग आयोजित करने का माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने आदेश दिया। दिनाँक 25/09/2018 को माननीय उपाध्यक्ष महोदया प्रवास पर होने के कारण सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सिटिंग की अध्यक्षता की।

सिटिंग में सिटी मैजिस्ट्रेट, सोनीपत तथा उप पुलिस अधीक्षक, सोनीपत उपस्थित हुए। अभ्यावेदक सिटिंग में उपस्थित नहीं हो सकी। उप पुलिस अधीक्षक, सोनीपत ने क्रमवार की गयी कार्यवाई आयोग को अवगत कराई तथा सूचित किया "हालात तसदीक से किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है"। सिटी मैजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का समर्थन किया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अभ्यावेदक किस समुदाय से संबन्धित है बैठक में चर्चा हुई। सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सूचित किया कि वह किस समुदाय से है इस संबंध में सूचना उपलब्ध नही है। अभ्यावेदक के आवेदन में भी वह किस समुदाय से संबन्धित है ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है।

विचार विमर्श के बाद यह निश्चित किया गया कि यह मामला अनुसूचित जनजाति का होना प्रतीत नहीं होता है, अतः इसे बंद करना उचित होगा। मामले मे आयोग द्वारा पुनर्विचार हेतु, आवेदक, यदि अनुसूचित जनजाति की है तो उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र की प्रति आयोग को एक महीने के अंदर उपलब्ध करानी होगी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Govt. of India
National Commission for Scheduled Tribes

संलग्नक

(फ़ाइल संख्या : UD/1/2018/STGHY/ATPHHR/RU-I)

बैठक की तिथि : 25/09/2018 को 3 बजे

श्रीमती ऊषा देवी (पत्नी श्री धर्मेंद्र शाह, ग्राम - सिकटिया, थाना - महाराजगंज, जिला - सीवान, बिहार) C/o श्री सतीश कुमार, मकान नंबर 337/19 मास्टर कालोनी, तुगलकाबाद गाँव, नई दिल्ली द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित दिनाँक 25/09/2018 समय 3 बजे बैठक का कार्यवृत।

प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम एवं पद
I	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
1.	श्री राघव चंद्रा सचिव
2.	श्री पी टी जेम्सकुट्टी उप सचिव
3.	श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
4.	श्री गौरव कुमार माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
II	उपायुक्त, जिला - सोनीपत
1.	श्री सुरेंदर सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट, सोनीपत
III	पुलिस अधीक्षक, जिला - सोनीपत
1.	श्री हरिंदर कुमार, उप - अधीक्षक, सोनीपत
IV	अभ्यावेदक
1.	अनुपस्थित